न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

निगरानी संख्या 15/14

तारीख रजू– 05/06/2014

1– गंगासहाय पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास।(मृतक)
1/1– देवीसहाय 1/2– गोविन्द पि0 गंगासहाय 1/3 शांतिदेवी पत्नि गंगासहाय जति ब्राहमण निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास।

---प्रार्थीगण

बनाम

1– रामनिवास पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी जाखोलासखुर्द तहसील बामनवास।
2– सरपंच ग्राम पंचायत फुलवाडा तहसील बामनवास।

----अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 20/07/15

यह निगरानी प्रार्थनापत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 8676/2005 निर्णय दिनांक 22/01/09 से प्रतिप्रेषित होकर इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि सुनवाई व साक्ष्य पर का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विचार कर निर्णय पारित करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व अदालत मातहत की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी.नोटिस जारी करने के उपरान्त भी उपस्थित नही हुए व अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त नही होने पर वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि पत्रावली के अभाव मे प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है व प्रार्थी ने प्राप्त दस्तावेज पेश कर दिये है अतः प्रार्थी की बहस व दस्तावेज के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावें के आधार पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा जिस भू–खण्ड का पटटा जारी किया है वह भूमि आम रास्ते की भूमि है तथा नियमो के परिपेक्ष्य मे आम रास्ते की भूमि का पटटा नही दिया जा सकता। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पटटा निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पटटे पर मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर है जबकि सचिव के भी हस्ताक्षर होना आवश्यक है इस प्रकार सरपंच ने अपनी मनमर्जी से नियमो के विपरीत पटटा जारी किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर मे हंसराज पंच के हस्ताक्षर हो रहे है जबकि तत्समय हंसराज पंच ही नही था इस प्रकार ग्राम पंचायत की कार्यवाही फर्जी होने से जारी किया गया पटटा निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीगण के पिता व पति ने एक दीवानी दावा संख्या 19/99 न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क.ख.) बामनवास मे पेश किया था जिसमे निर्णय दिनांक 19/03/05 से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया था कि रास्ते की भूमि मे जो निर्माण कर रखा उसे अपने खर्चे से हटावे व रास्ते की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही करे इस कारण भी जारी किया गया पटटा निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि इसी पटटे से संबधित एक अपील अपर जिला न्यायाधीश गंगापुरसिटी मे विचाराधीन थी जिसमे अपीलार्थीगण ने न्यायालय मे प्रार्थनापत्र पेश कर अवगत कराया था कि अपील मे राजीनामा हो जाने से अपील को चलाना नही चाहते है जिसके आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की गई थी इस वजह से भी जारी किया गया पटटा निरस्तनीय है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1को ग्राम जाखोलासखुर्द की आबादी भूमि मे 30X 40 वर्ग फुट का जारी पटटा निरस्त फरमाया जावें।

जिला कलेक्टर
माधोपुर

निगरानी संख्या 15/14 गंगासहाय/रामनिवास

वकील प्रार्थी की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है अदालत हाजा द्वारा पूर्व मे प्रार्थी गंगासहाय द्वारा प्रार्थी संख्या 1 को जारी पटटे की निगरानी प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 15/06/05 से प्रार्थी की निगरानी खारिज की गयी थी जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने अदालत हाजा के निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे रिट दायर की व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22/01/09 से प्रकरण प्रतिप्रेषित होकर इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि सुनवाई व साक्ष्य पर का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विचार कर निर्णय पारित करें। पत्रावली के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी गंगासहाय ने प्रशासन गांव संग अभियान मे आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी रामनिवास को जारी पटटा दिनांक 28/03/95 की प्रमाणित प्रति चाही थी जिसपर सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत फुलवाडा ने 01/03/02 को यह प्रमाण पत्र जारी किया था कि आवासीय भू–खण्ड विलेख दिनांक 28/03/95 से संबंधित पटटा प्रति पंचायत रिकार्ड मे उपलब्ध नही है। इसी प्रकार पंचायत कोरम ने 28/03/95 को जो प्रस्ताव पारित किया है उसमे भी प्रस्ताव के अन्त मे अप्रार्थी संख्या 1 का नाम जोडा गया है जिससे यह जाहिर होता है कि पटटे से संबंधित कार्यवाही फर्जी हुई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी को आवासीय भू–खण्ड आबंटन करने से पूर्व पंचायत द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी नही किया गया है व मोका रिपोर्ट भी तैयार नही की गई है जिससे पंचायत राज नियमो की अवहेलना हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 को निःशुल्क पटटा ज़ारी किया गया है। निःशुल्क पटटा अप्रार्थी संख्या–1 को क्यो जारी किया है इसका भी पत्रावली मे कोई उल्लेख नही किया गया है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी ने दिनांक 25/10/09 के जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति पेश की है जो उक्त जारी पटटे की शिकायत पर पंचायत प्रसार अधिकारी बामनवास व विकास अधिकारी पंचायत समिति बामनवास द्वारा जॉच की गई है उसमे उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी को दिनांक 28/03/95 को ग्राम पंचायत फुलवाडा ने जो पटटा जारी किया है वह पटटा आम रास्ते की भूमि मे होने से अनियमित रूप से फर्जी तरीके से जारी किये है पटटा आम रास्ते की भूमि मे जारी किया गया है इस बात की पुष्टि दीवानी दावा संख्या 19/99 न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क.ख.) बामनवास निर्णय दिनांक 19/03/05 से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया था कि रास्ते की भूमि मे जो निर्माण कर रखा उसे अपने खर्चे से हटावे व रास्ते की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही करे इस बात से भी ... है। रास्ते की भूमि मे पटटा जारी करने से राजस्थान पंचायत राज नियम,1996 की धारा 161 का उल्लंघन हुआ है।अतः उपरोक्त कथन से यह भलीभाति साबित है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पटटा आम रास्ते की भूमि पर व पंचायत राज नियमो की पालना नही कर जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे ग्राम पंचायत फुलवाडा द्वारा दिनांक 28/03/95 को जारी पटटा 30X 40 वर्गफुट का निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/07/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर